

26.08.2025 वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित / चूकी
मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी सूरत
में आवेदन पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं
है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र इसी
स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल इफ्तार

हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा